न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवान -- **बिसनाराम** **बनाम** **तहसीलदार सीकर**

किस्म मुकदमा -- प्रा0--पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 **मुकदमा नं विविध** 234 / **वर्ष 2025**

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.9.25		
	प्रार्थी बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम जाति माली निवासी ग्राम स्वरूपपुरा तन बेरी तहसील व जिला सीकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम स्वरूपपुरा तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 3360 / 340, 3361 / 340, 3362 / 340, 562 / 2832 अवस्थित है जिसमें प्रार्थी 1 / 6 हिस्से का खातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम किशना पुत्र रामचन्द्र दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम है और इसी नाम से प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेज है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का नाम किशना पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किया जावें। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार, सीकर से रिपोर्ट चाही गई। उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक-- भू.अ. / 25 / 2820 दिनांक 07.07.2026 प्राप्त। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम स्वरूपपुरा तहसील व जिला सीकर के खाता सख्या 23 के खसर नम्बर 3360 / 340, 3361 / 340, 3362 / 340, 562 / 2832 में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र रामचन्द दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि में प्रार्थी का नाम बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम है। तहसीलदार सीकर द्वारा राजस्व ग्राम स्वरूपपुरा तहसील व जिला सीकर के खाता सख्या 23 में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने बाबत् रिपोर्ट भिजवाई है। अतः रिपोर्ट तहसीलदार व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना--पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम स्वरूपपुरा तहसील व जिला सीकर के खाता सख्या 23 के खसर नम्बर 3360 / 340, 3361 / 340, 3362 / 340, 562 / 2832 में प्रार्थी का नाम किशना पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर बिसनाराम पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किये जाने की स्वीकृति धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है। **उपखण्ड अधिकारी सीकर**	